DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

16 July, 2024

टिरज़ेपाटाइड (Tirzepatide)

संदर्भ: *पिछले सप्ताह, भारत के औषधि नियामक की एक विशेषज्ञ समिति ने पहली बार टिरज़ेपाटाइड नामक दवा को मंजूरी दी है।*

मधुमेह की दवा वजन घटाने के लिए:

➢ **ओज़ेंपिक और सिलाग्लुटाइड**

- 2017 में, अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन के लिए नोवो नॉर्डिस्क की ओज़ेंपिक (सिलाग्लुटाइड) को मंजूरी दी थी।
- ओज़ेंपिक के कारण वजन कम हुआ, जिससे मोटापे के लिए ऑफ-लेबल प्रिस्क्रिप्शन बढ़ गए।
- सोशल मीडिया ने वजन घटाने के लिए ओज़ेंपिक को लोकप्रिय बना दिया, जिससे नोवो नॉर्डिस्क को गैर-मधुमेह रोगियों के मोटापे के इलाज के लिए सिलाग्लुटाइड की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित किया।
- 2021 में, नोवो नॉर्डिस्क ने (Wegovy) जारी किया, जो एक एफडीए-अनुमोदित मोटापा उपचार है जिसमें ओज़ेंपिक की तुलना में सिलाग्लुटाइड की उच्चतम मात्रा होती है।
- दोनों दवाओं की मांग अधिक होने के कारण दुनियाभर में इसकी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

➢ **टिरज़ेपाटाइड और जेपबाउंड**

- एली लिली की टिरज़ेपाटाइड, जिसे जेपबाउंड के रूप में बेचा जाता है, भारत में नियामक अनुमोदन के अधीन है।
- नवंबर 2023 में, एफडीए ने एली लिली की टाइप 2 मधुमेह की दवा, मौनजारो की सफलता के बाद, जेपबाउंड को मोटापे के लिए मंजूरी दी थी।
- जेपबाउंड और मौनजारो दोनों में टिरज़ेपाटाइड होता है और इन्हें ऑफ-लेबल वजन घटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- उच्च मांग के कारण दोनों दवाओं की वैश्विक कमी है।

➢ **सेमाग्लूटाइड बनाम टिरज़ेपेटाइड**

- FDA ने वयस्कों में क्रोनिक वज़न प्रबंधन के लिए वेगोवी (सेमाग्लूटाइड) और ज़ेपबाउंड (टिरज़ेपेटाइड) को मंज़ूरी दे दी है।
- यह मोटे व्यक्तियों (BMI > 30) या अधिक वज़न वाले व्यक्तियों (BMI 27-30) के लिए उपयुक्त है, जिन्हें संबंधित स्वास्थ्य समस्या हैं।
- इसे धीरे-धीरे बढ़ती खुराक (सेमाग्लूटाइड के लिए 2.4 मिलीग्राम, टिरज़ेपेटाइड के लिए 15 मिलीग्राम) के साथ त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- दोनों दवाएँ ग्लूकोज के स्तर को प्रबंधित करने और GLP-1 के माध्यम से तृप्ति को बढ़ावा देने में मदद करती हैं।
- टिरज़ेपेटाइड GIP को भी बढ़ाता है, जिससे वज़न नियंत्रण में सुधार होता है।

➢ **ज़ेपबाउंड के लिए वैश्विक परीक्षण:**

- चरण तीन के परीक्षणों में 2,539 प्रतिभागी शामिल थे, जिन्हें प्लेसबो या टिरज़ेपेटाइड (5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम) प्राप्त करने के लिए यादृच्छिक किया गया था।
- 72 सप्ताह के बाद, 5 मिलीग्राम समूह ने 15% शरीर का वजन कम किया, 10 मिलीग्राम समूह ने 19.5% खो दिया, और 15 मिलीग्राम समूह ने 20.9% खो दिया।
- 15 मिलीग्राम समूह के 91% ने कम से कम 5% वजन कम किया।
- प्लेसबो समूह ने केवल 3.1% वजन कम किया।
- कार्डियोमेटाबोलिक उपायों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया।

➢ **नियामक मंज़ूरी और चरण IV परीक्षण**

- भारतीय प्रतिभागियों सहित वैश्विक परीक्षण डेटा के आधार पर ज़ेपबाउंड को भारत में नियामक मंज़ूरी मिली।
- भारत की विविध आबादी में दुष्प्रभावों और प्रभावकारिता की निगरानी के लिए, एक विशेषज्ञ समिति को चरण IV, विपणन के बाद निगरानी परीक्षण की आवश्यकता है।

➢ **ज़ेपबाउंड के साइड इफ़ेक्ट**

- **सामान्य साइड इफ़ेक्ट:** मतली, दस्त, उल्टी, कब्ज, पेट में दर्द, अपच, इंजेक्शन वाली जगह पर रिएक्शन, थकान, एलर्जी, डकार, बालों का झड़ना, नाराज़गी।
- थायरॉयड कैंसर सहित थायरॉयड ट्यूमर का जोखिम।
- मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा (MTC) या मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया सिंड्रोम टाइप 2 (MEN 2) के इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है।
- ज़ेपबाउंड केवल प्रिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है और कॉस्मेटिक वज़न घटाने के लिए नहीं है।

➢ **दवा बंद करने के बाद वज़न फिर से बढ़ना:**

- मोटापे की दवाएँ एक बार का समाधान नहीं हैं; स्थायी प्रभावों के लिए निरंतर उपयोग आवश्यक है।
- वेगोवी के STEP 1 एक्सटेंशन ट्रायल ने दवा बंद करने के बाद वज़न फिर से बढ़ता हुआ पाया।
- मोटापा एक जटिल, पुरानी बीमारी है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना

संदर्भ: *शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना में शामिल होने की अनिच्छा के कारण दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा अभियान निधि रोक दी है।*

➢ **पीएम-एसएचआरआई योजना क्या है ?**

- लक्ष्य: देश भर के 14,500 स्कूलों को 21वीं सदी के कौशल से सशक्त बनाना।
- उद्देश्य: उच्च गुणवत्ता वाली, समावेशी शिक्षा प्रदान करना जो विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और अलग-अलग शैक्षणिक क्षमताओं को पूरा करती हो।
- कार्य: नई शिक्षा नीति के लिए प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करना।
- वित्त पोषण: केंद्र सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 60:40 लागत विभाजन के साथ केंद्र प्रायोजित।

➢ **मुख्य विशेषताएं**

- बुनियादी ढांचा: स्कूल सुविधाओं में सुधार।
- प्रारंभिक शिक्षा: बालवाटिका, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता।
- हरित विद्यालय: पर्यावरण के अनुकूल विद्यालयों का विकास।
- आधुनिक सुविधाएं: आईसीटी सहित।
- परामर्श: कल्याण और कैरियर मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- पाठ्येतर: हर बच्चे के लिए खेल और कला पर जोर दिया गया।
- समावेशिता: लड़कियों और विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए उपयुक्त बुनियादी ढाँचा।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- भाषा समर्थन: मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षण पद्धतियाँ: समग्र, एकीकृत और शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण।
- मूल्यांकन: प्रगति और प्रदर्शन को मापने के लिए एक 'स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा'।
- स्थानीय एकीकरण: स्कूलों को स्थानीय उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र और उच्च शिक्षा संस्थानों से जोड़ना।

➢ **स्कूलों के लिए चयन प्रक्रिया:**

- पात्रता: केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित सभी प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जिनके पास UDISE+ कोड है, आवेदन कर सकते हैं।
- चरण 1: राज्य सरकार को NEP को पूरी तरह से लागू करने के लिए सहमत होना चाहिए।
- चरण 2: न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने वाले स्कूलों की शॉर्टलिस्टिंग।
- चरण 3: राज्यों, केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय की टीमों द्वारा निरीक्षण और सिफारिश।
- चयन सीमा: एक ब्लॉक या शहरी स्थानीय निकाय से अधिकतम दो स्कूल।
- अंतिम निर्णय: एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है।
- UDISE: शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, जिसे 2012-13 में शुरू किया गया था, स्कूली शिक्षा के लिए एक प्रमुख प्रबंधन सूचना प्रणाली है।

➢ **स्कूलों और छात्रों के लिए लाभ**

- मॉडल स्कूल: पीएम श्री संस्थान NEP की पूरी भावना को मूर्त रूप देते हुए मॉडल स्कूल के रूप में काम करेंगे।
- समग्र शिक्षाशास्त्र: अनुभवात्मक, एकीकृत, खिलौना-आधारित, खोज-उन्मुख, शिक्षार्थी-केंद्रित और चर्चा-आधारित शिक्षण विधियाँ।
- मेंटरशिप: पीएम श्री स्कूल एनईपी नीतियों को फैलाने के लिए अन्य स्कूलों को सलाह देंगे।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: पर्यावरण के अनुकूल और तकनीक-संचालित उपकरणों का समावेश।
- वैचारिक समझ: वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग पर केंद्रित योग्यता-आधारित मूल्यांकन।
- गुणवत्ता मूल्यांकन: स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा (एसक्यूएएफ) संसाधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा।
- रोजगार के अवसर: इंटर्नशिप और बेहतर नौकरी की संभावनाओं के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल और स्थानीय उद्योगों के साथ सहयोग।

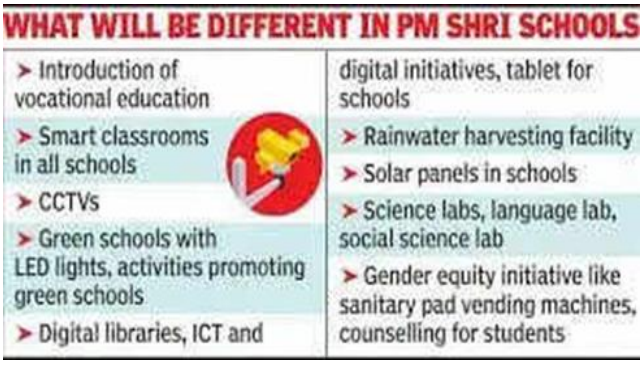

संसद में विधेयकों का पारित होना

***संदर्भ**: 15 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने संसद में विवादास्पद संशोधनों को पारित करने के लिए केंद्र द्वारा धन विधेयक मार्ग के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की।*

➢ **विधेयक क्या हैं?**

- विधेयक संसद में बहस और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए नए कानूनों या मौजूदा कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव हैं।
- यदि कोई विधेयक संसद में सभी आवश्यक चरणों को पारित कर देता है और अंतिम स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, तो वह संसद का अधिनियम बन जाता है।
- **विधेयक के चार मुख्य प्रकार हैं:**
  - साधारण विधेयक
  - धन विधेयक
  - वित्तीय विधेयक
  - संविधान संशोधन विधेयक

➢ **भारतीय संसद में विधायी प्रक्रिया**

- भारत का संविधान साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अधिनियमन के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है।

➢ **साधारण विधेयकों का पारित होना**

- कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन में साधारण विधेयक पेश कर सकता है।
- अधिनियम बनने के लिए इसे पाँच चरणों से गुजरना होगा।

➢ **प्रथम वाचन**

- सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति मांगता है।
- विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य पढ़े जाते हैं, तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।
- इस चरण में कोई चर्चा नहीं होती।

➢ **द्वितीय वाचन**

- इसमें विधेयक की सामान्य तथा विस्तृत जांच शामिल होती है।
- इसमें तीन उप-चरण होते हैं: सामान्य चर्चा, समिति चरण, तथा विचार चरण।

➢ **सामान्य चर्चा का चरण**

- विधेयक की मुद्रित प्रतियां वितरित की जाती हैं।
- सिद्धांतों तथा प्रावधानों पर सामान्य रूप से, बिना विवरण के चर्चा की जाती है।
- **सदन निम्न कार्य कर सकता है:**
  - विधेयक पर तत्काल या निश्चित तिथि पर विचार करें।
  - विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति को भेजें।
  - जनमत जानने के लिए विधेयक को प्रसारित करें।

➢ **समिति चरण**

- प्रवर या संयुक्त समिति विधेयक की धारा दर धारा जांच करती है तथा उसमें संशोधन कर सकती है।
- समिति सदन को रिपोर्ट करती है।

➢ **विचार चरण**

- सदन विधेयक पर धारा दर धारा विचार करता है।

- सदस्य संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो स्वीकृत होने पर विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं।

➢ **तीसरा वाचन**

- बहस विधेयक को समग्र रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने तक ही सीमित होती है।
- यदि पारित हो जाता है, तो इसे विचार के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है।

➢ **दूसरे सदन में विधेयक**

- तीनों चरणों से फिर से पारित होता है।
- **दूसरा सदन:**
  - संशोधनों के बिना विधेयक पारित कर सकता है।
  - संशोधनों के साथ पारित कर सकता है और वापस कर सकता है।
  - विधेयक को अस्वीकार कर सकता है।
  - विधेयक को लंबित रख सकता है।

➢ **गतिरोध और संयुक्त बैठक**

- यदि गतिरोध उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
- संयुक्त बैठक में बहुमत से पारित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

➢ **राष्ट्रपति की स्वीकृति**

- राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं।
- यदि इसे वापस किया जाता है और फिर से पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी।

➢ **धन विधेयक पारित करना**

- धन विधेयक में केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लिखित प्रावधान होते हैं।
- इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर किसी मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- राज्यसभा केवल सिफारिशें कर सकती है और उसे 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस करना होगा।
- लोकसभा सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन विधेयक को वापस नहीं कर सकते।
- वित्तीय विधेयकों का पारित होना
- वित्तीय विधेयक राजकोषीय मामलों (राजस्व या व्यय) से संबंधित होते हैं।

➢ **वित्तीय विधेयक (I)**

- धन विधेयकों के समान, लेकिन प्रस्तुत किए जाने के बाद साधारण विधेयक की विधायी प्रक्रिया का पालन करते हैं।
- राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत या संशोधित किया जा सकता है।
- गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

➢ **वित्तीय विधेयक (II)**

- सभी मामलों में साधारण विधेयक के रूप में माना जाता है।
- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- विचार के चरण में राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है।
- गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

➢ **संविधान संशोधन विधेयकों का पारित होना**

- अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है।
- संविधान संशोधन विधेयकों पर एक अलग लेख में विवरण शामिल हैं।

➢ **विधायी प्रक्रिया में गतिरोध**

- गतिरोध तब होता है जब:
  - दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर देता है।
  - संशोधनों पर असहमति है।
  - विधेयक छह महीने से अधिक समय से लंबित है।
  - राष्ट्रपति गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का दो दिवसीय स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस कल 15 जुलाई को नई दिल्ली में शुरू हुआ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में:

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- इसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था।
- यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- यह भारत भर में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- इसने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
- अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से, देश ने 1950-51 से 2017-18 तक खाद्यान्न उत्पादन में 5.6 गुना, बागवानी फसल उत्पादन में 10.5 गुना, मछली उत्पादन में 16.8 गुना, दूध उत्पादन में 10.4 गुना और अंडा उत्पादन में 52.9 गुना वृद्धि की है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

यूएनआरडब्ल्यूए

हाल ही में, भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की।

यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में:

- निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और गाजा में शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत और कार्य कार्यक्रम प्रदान करने के लिए 1949 में यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना की।
- यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाएं, शिविर बुनियादी ढांचे में सुधार, माइक्रोफाइनेंस और आपातकालीन सहायता प्रदान करता है।
- यह लगभग पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है, और महासभा ने बार-बार इसके अधिदेश को नवीनीकृत किया है, सबसे हाल ही में इसे 30 जून, 2026 तक बढ़ाया गया है।
- वर्तमान में, लगभग 5.9 मिलियन फिलिस्तीन शरणार्थी, जिनमें से अधिकांश मूल शरणार्थियों के वंशज हैं, एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से 1 मिलियन से अधिक गाजा में UNRWA स्कूलों और अन्य सुविधाओं में शरण लिए हुए हैं।

भारतीय समाचार पत्र सोसायटी

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने मुंबई, महाराष्ट्र में भारतीय समाचार पत्र सोसायटी (आईएनएस) टावर्स का उद्घाटन किया।

भारतीय समाचार पत्र सोसायटी के बारे में:

- भारतीय समाचार पत्र सोसायटी (आईएनएस) की उत्पत्ति 11 अक्टूबर, 1927 को हुई, जब इसे शुरू में भारत, बर्मा और सीलोन समाचार पत्रों की लंदन समिति के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रसार के आंकड़ों को प्रमाणित करता है, साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और उसे बढ़ावा देता है।
- 4 अक्टूबर, 1935 को संगठन का नाम बदलकर भारतीय और पूर्वी समाचार पत्र सोसायटी (IENS) कर दिया गया।
- भारतीय समाचार पत्र सोसायटी का प्राथमिक उद्देश्य भारत, बर्मा और सीलोन में समाचार पत्रों के सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करना था।
- भारतीय और पूर्वी समाचार पत्र सोसायटी का आधिकारिक रूप से गठन 27 फरवरी, 1939 को स्टेट्समैन हाउस, नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में किया गया था।
- उद्घाटन की अध्यक्षता स्टेट्समैन के संपादक श्री आर्थर मूर ने की।
- सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में बॉम्बे क्रॉनिकल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रंगून गजट, द हिंदू और द स्टेट्समैन जैसे प्रमुख प्रकाशन शामिल थे।

ग्राम न्यायालय

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके उच्च न्यायालयों को ग्राम न्यायालयों पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करना और स्थानीय न्यायालयों पर बोझ कम करना है।

ग्राम न्यायालयों के बारे में:

- ग्राम न्यायालय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक त्वरित और सहज पहुँच प्रदान करने के लिए स्थापित ग्राम न्यायालय हैं।
- इन न्यायालयों की स्थापना भारत की संसद द्वारा पारित ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-ए के तहत सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना अनिवार्य है।
- हालाँकि शुरुआती लक्ष्य 5000 ग्राम न्यायालय स्थापित करना था, लेकिन वर्तमान में केवल 200 ही कार्यरत हैं।
- भारत के विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में आम आदमी को त्वरित, पर्याप्त और सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
- प्रत्येक ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के रूप में कार्य करता है।
- पीठासीन अधिकारी, जिसे न्यायाधिकारी के रूप में जाना जाता है, को राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।
- ग्राम न्यायालय मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या किसी जिले में आसन्न पंचायतों के समूह के लिए स्थापित किए जाते हैं।
- ग्राम न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से निर्दिष्ट किया जाता है।

सुर्खियों में स्थल

मार्शल द्वीप

हाल ही में, भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए मार्शल द्वीप के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

मार्शल द्वीप (राजधानी: माजुरो)

स्थान: मार्शल द्वीप, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में एक एटोल और द्वीपों का द्वीप देश है और प्रशांत महासागर में स्थित है।

सीमाएँ: देश फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ़ माइक्रोनेशिया (पश्चिम), वेक आइलैंड (उत्तर), किरिबाती (दक्षिणपूर्व) और नाउरू (दक्षिण) के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करता है।

भौतिक विशेषताएँ:

- मार्शल द्वीप में सबसे ऊँचा स्थान लिकिएप एटोल है।
- मार्शल द्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है।

स्वतंत्रता: मार्शल द्वीप को 21 अक्टूबर, 1986 को कॉम्पैक्ट ऑफ़ फ्री एसोसिएशन के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्रता मिली।

सदस्यता: मार्शल द्वीप संयुक्त राष्ट्र (यूएन), प्रशांत द्वीप फोरम (पीआईएफ) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है।

भाषा: मार्शल द्वीप समूह की आधिकारिक भाषाएँ मार्शलीज़ और अंग्रेजी हैं।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में किस देश ने कोलंबिया को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती? – **अर्जेंटीना**
- 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? – **कार्लोस अल्काराज़**
- भारत किस राज्य में 20-24 नवंबर, 2024 तक पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) आयोजित करेगा? – **गोवा**
- हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से जुड़ा है? – **यूएसए**
- किस संगठन ने हाल ही में भारत को अपने निम्न-कार्बन ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? – **विश्व बैंक**